

प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE



भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502



9 अप्रैल 2025

भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों(एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

क्र. सं.	कंपनी का नाम	पंजीकृत कार्यालयीन पता	पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.	प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख	निरस्तीकरण आदेश की तारीख
1	थामिरापरानी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	फ्लैट नंबर डी-2, सृष्टि क्रेस्केंडो, डी/नंबर 24, देसिका रोड, चेन्नई, तमिलनाडु - 600004	B-07.00674	10 जनवरी 2002	24 मार्च 2025
2	अरामस्क इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	डी1, सृष्टि क्रेस्केंडो, 24, देसिका रोड, चेन्नई, तमिलनाडु - 600004	B-07.00182	12 जून 2001	24 मार्च 2025
3	विश्वप्रिया गोल्ड हायर परचेज़ लिमिटेड (एमसीए रिकॉर्ड में नाम बदलकर विश्वप्रिया फाइनेंस लिमिटेड कर दिया गया है)	75- सी, II मेन रोड, गांधी नगर, अज्यार, चेन्नई, तमिलनाडु - 600020	B-07.00214	8 अप्रैल 2002	24 मार्च 2025
4	मैट्रिक्स फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड	डी1, सृष्टि क्रेस्केंडो, 24, देसिका रोड, चेन्नई, तमिलनाडु - 600004	B-07.00554	27 दिसंबर 2000	24 मार्च 2025
5	यूनिटारा फाइनेंस लिमिटेड	70, ट्रांसपोर्ट नगर इंदौर, मध्यप्रदेश- 452001	B-03.00016	20 फरवरी 1998	24 मार्च 2025
6	वेल फिन सिक्योरिटीज़ लिमिटेड	4वां मंजिल, अग्रवाल कॉम्प्लेक्स, नवरंगपुरा, सी जी रोड के पास, अहमदाबाद, गुजरात - 380009	B.01.00438	22 नवंबर 2002	26 मार्च 2025

अतः ये कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी।

(पुनीत पंचोली)

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/71

मुख्य महाप्रबंधक